राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ4(ई)/द्वितीय ए.सी.पी./1994/पार्ट–IIII/अलेसे–III/57 दिनांकः– 24-01-2018

आदेश संख्या 306/2017–18

श्री सतनाम सैनी (235/94) लिंक नं. 5188 की कनिष्ठ लेखाकार पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति तिथि 13.03.1996 है तथा श्री सतनाम सैनी ने कनिष्ठ लेखाकार पद पर 9 वर्ष की निरन्तर सेवा दिनांक 13.03.2005 को पूर्ण कर ली है। अतः श्री सतनाम सैनी को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.6(2)(एफडी)(रूल्स) 98/ दिनांक 17.02.1998 के अनुसरण में दिनांक 13.03.2005 से कनिष्ठ लेखाकार के पद का प्रथम चयनित वेतनमान वेतन श्रृंखला (5500–175–9000) में स्वीकृत किया जाता है।

श्री सतनाम सैनी, कनिष्ठ लेखाकार को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.1 (20) वित्त/ ग्रुप–2/ 92 दिनांक 23.4.1994 में दी हुई शर्तो के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.7(1) (डीओपी)/क–2/95 दिनांक 20.6.2001 के क्रम में सन्तान संबंधी धोषणा प्राप्ति के आधार पर प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता हैं।

श्री सतनाम सैनी का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 17.02.1998 के पैरा 10 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि कार्मिक को पूर्व में प्रथम चयनित वेतन मान स्वीकृत नही किया गया है तथा प्रथम चयनित वेतन मान देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक इन्हे कोई दण्ड नहीं दिया गया है तथा इनके विरूद्ध फोजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है एवं नियमित रूप से वेतन वृद्धियां मिल रही है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से कार्मिक की सेवा पुस्तिका में की जावे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :– एफ4(ई)/द्वितीय ए.सी.पी./1994/पार्ट–IIII/अलेसे–III/57 दिनांकः– 24-01-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हनुमानगढ़ को उनके पत्र संख्या 2011 दिनांक 27.10.2017 के क्रम में।
2. अतिरिक्त निजि सचिव, निदेशक महोदय।
3. श्री सतनाम सैनी, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हनुमानगढ़।
4. उपनिदेशक (एसीपी), वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
5. निजी पत्रावली मय संतान घोषणा पत्र एवं संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
6. गार्ड फाईल।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)